न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1731–एक/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–7–2005 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 505/2004–05/अपील.

.....

बाबूलाल पिता रामरतनजी कुल्मी
निवासी कचनारा (नाहरगढ़)
तहसील सीतामउ जिला मन्दसौर

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदक

.....

श्री कैलाश जोशी, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/8/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–7–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–11–1992 के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा 505/अपील/2004–05 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । चूँकि आवेदक द्वारा विवादित आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई थी, अतः सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को अनेक अवसर दिये गये, परन्तु आवेदक को अनेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी के वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–7–05 को आदेश पारित कर अपील समाप्त की गई है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उन्हें आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त नहीं होने से वह प्रस्तुत नहीं की जा सकी, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा इस आधार पर अपील निरस्त करने में त्रुटि की गई है। यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 48 के अन्तर्गत सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करने से मुक्ति दिये जाने का प्रावधान है, इस कारण भी अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त को अभिलेख बुलाकर प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करना चाहिये था, परन्तु उनके द्वारा तकनीकी आधार पर अपील निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निगरानी में आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील ग्राह्य योग्य नहीं थी, इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की सत्यप्रतिलिपि अनेक बार मॉग किये जान पर भी प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । जहॉ तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में उल्लिखित तथ्य एवं वैधानिक प्रावधानों के विपरीत आवेदक की ओर से कोई भी बिन्दु अपर आयुक्त न्यायालय के समक्ष में नहीं उठाये गये हैं, इस कारण अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से, उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–7–2005 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर